अनुबंध

जाली नोटों का पता लगाना और रिपोर्टिंग - संशोधित क्रियाविधि क्षतिपूर्ति ,और दंड

1. बैंकों में जाली नोटों की पहचान के लिए क्रियाविधि

i. बैंकों में जाली नोटों की पहचान केवल बैक ऑफिस पर काऊंटरों चाहिए। जानी की ही में तिजोरी मुद्रा / वहां क्या कि जैसे कमियों अन्य और यथार्थता अंकगणितीय जांच उनकी तब हैं जाते दिये जब बैंकनोट या जाय की अंतरित में खाते / के जमाकर्ता राशि यथोचित और जाये की एलि के हैं नोट फटे - कटे मूल प्रदत्त्‍य विनिमय में प्रदान किया जाये।

ii. उसके बाद बैक लिए के प्रमाणीकरण और सत्यापन विस्तृत से माध्यम के मशीनों को नोटों इन , को तिजोरी मुद्रा / ऑफिस, जैसा भी मामला हो हिए।चा जाना किया अंतरित ,

iii. मशीन प्रसंस्करण के दौरान की प्रमाणिकता की नोटों वर्गीकृत संदिग्ध , जांच हेतु उनका मैनुअल सत्यापन किया जाना चाहिए।

iv. जाली नोटों के रूप में पहचान किये गये नोटों को फार्मेट अनुबंध)I जब्ती उचित , अनुसार के (के प्रमाणीकरण में रजिस्टर अलग एक ब्यौरा के नोट जब्त कप्रत्ये चाहिए। जाना रखा अलग साथ के स्टैप चा जाना किया दर्ज साथहिए।

v. नोट प्रस्तुत करने वाले को रसीद दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

vi. एक लेन नोडल के बैंक , में मामलों के पहचान की तक पीसेस चार के नोटों जाली , में देन - मासिक समेकित को थाने पुलिस नोडल से ममाध्य के अधिकारी विवरण अनुबंध)II में (भेजा जाना चाहिए। पाँच और अधिक पीसेस की पहचान के मामले में अनुबंध) फार्मेट ,III (के अनुसार , एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

vii. बैंकों को ऐसी पहचान के स्वरुप दिग्धसं और चाहिए रखनी निगरानी पर प्रवृत्तियों / पुलिस / बैंक रिज़र्व भारतीय तत्काल को प्रवृत्तियों / स्वरुप प्राधिकरण के ध्यान में लाना चाहिए।

viii. फार्मेट अनुबंध)IV (के अनुसार , भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सूचना देने की क्रियाविधि अपरिवर्तित रहेगी।

2 . बैंकों को क्षतिपूर्ति

i. बैंकों रु 100.और उसके ऊपर मूल्यवर्ग के जाली नोटों की पहचान और भारतीय रिज़र्व बैंक तथा पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट किये जाने पर, नोटों के अनुमानित मूल्य के %25तक की क्षतिपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जायेगी ।

ii. क्षतिपूर्ति के लिए दावे मासिक आधार पर अनुबंध) फार्मेट निर्धारित ,V , में (बैंकों के जाली नोट सतर्कता कक्ष के माध्यम से आगामी माह के के दिनों 15 भीतर dcmfnvd@rbi.org.in पर ई चाहिए। - मेल जाने किये द्वारा

iii. प्रारंभ में क्षतिपूर्ति तिमाही आधार पर मुद्रा प्रबंध विभाग , भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जायेगी।

iv. उपर्युक्त प्रणाली की समीक्षा एक वर्ष के पश्चात की जायेगी।

3. दंड

i. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के गंदे नोट प्रेषण एवं मुद्रा तिजोरी के अधिशेषों में जाली नोटों के पाये जाने पर नोटों जाली शिरा की दंड अब , के अनुमानित मूल्य के तीन गुना होगी।

ii. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण आदि में यह पाया जाता है कि बैंक शाखा या मुद्रा तिजोरी ने जाली नोट पाये हैं लेकिन उनकी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक या पुलिस को नहीं दी है विरुद्ध के बैंक उस तो , बैंक रिज़र्व भारतीयद्वारा सख्त विनियामक कदम उठाये जायेंगे जिसमें कठोर अनुशासनिक कार्रवाई और है। शामिल लगाना दंड मौद्रिक या /

संलग्नक - I

जब्ती स्टैम्प के लिए फार्मेट

प्रत्येक नोट माना नोट जाली पर पड़ताल - जांच की मानदंडों / विशेषताओं सुरक्षा विभिन्न जो , निम्नलिखित , लिए इसके जाये। लगाया छाप का स्टैम्प " बैंकनोट जाली " उसपर , है जाता सेंमी 5 साथ के लेखx सेंमी 5 के एकसमान आकार के एक स्टैम्प का उपयोग किया जाये।

जब्त जाली बैंकनोट

बैंक खजाना - उप / खजाना /

शाखा तिजोरी मुद्रा /

हस्ताक्षर

दिनांक

संलग्नक ll - मामलें के शिनाख्त के तक पीसेस चार - लगाना पता का नोटों जाली -

पुलिस को रिपर्टिंग करने का फार्मेट

1. ________________माह के लिए समेकित मासिक रिपोर्टिंग
2. बैंक नाम का जिले /
3. नोडल अधिकारी का नाम और पता
4. जाली नोटों के ब्योरे

शिनाख्त की तारीख	शाखा मुद्रा / नाम का तिजोरी	मूल्यवर्ग श्रृंखला / पीसेस / संख्या	सुरक्षा विशेषताओं का उल्लंघन

5. इसके साथ जाली नोट संलग्न हैं।
6. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

(हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत)

अनुलग्नक :

<u>संलग्नक – III – पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए फार्मेट</u>

बैंक का नाम

जिला:

नोडल बैंक अधिकारी का नाम और पता

संदर्भ सं. --------   दिनांक:--------------

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक

------------ पुलिस थाना

महोदय

<u>जाली नोट /नोटों का पता लगाना -जाँच का अनुरोध</u>

हम इसके साथ हमारे कार्यालय में दिनांक .... को पकड़े गये निम्नलिखित जाली नोट संलग्न कर रहें हैं I जाली नोट /नोटों के विस्तृत ब्योरे नीचे प्रस्तुत है I

2. चूँकि , भारतीय मुद्रा के जाली नोटों का मुद्रण और/या संचलन में लाना भारतीय दंड संहिता की धारा 489 अ से 489 ई के तहत अपराध है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया एफआईआर दर्ज कर आवश्यक जाँच करें । यदि न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई करनी हो तो अपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 292(1) और 292(3) के अनुसार आप पहले इन नोटों को किसी भी नोट प्रेस , फोरेंसीक साईन्स लेबोरेटरी आदि के पास जाँच के लिए भेज देने हेतु व्यवस्था कर लें । प्रस्तुत विशेषज्ञ के राय को आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 292के तहत साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए ।जाँच और/या न्यायालय में कार्रवाई पूरी हो जाने पर जाँच की विस्तृत रिपोर्ट/न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि सहित जाली नोट हमारे पास भिजवा दिए जाये।

मूल्यवर्ग/ नगों की संख्या	क्रमिक संख्या	अनुमानित मूल्य	मुद्रा तिजोरी का नाम और पता जहां पर जाली नोटों का पता लगाया गया	बैंक की प्रविष्टि संख्या

3. इसके साथ जाली नोट संलग्न हैं।

4.कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

प्राधिकृत हस्ताक्षरी

अनु:

संलग्नक IV – लगाना पता का नोटों जाली - भारतीय रिज़र्व बैंक रिपोर्टिंग मासिक को विभाग निर्गम ,

बैक / जिले का नाम

___________ माह के दौरान शाखा में पाये गये जाली नोटों के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

क पाये गये जाली नोटों के ब्योरे

शिनाख्त का प्रकार	शाखा मुद्रा / तिजोरी का नाम	पीसेस के मूल्य ब्योरे वार -						कुल पीसेस
		10	20	50	100	500	1000	
एफआईआर								
एफआईआर के बिना								

ख ब्योरे के मामलों दर्ज पास के पुलिस .

	माह के आरंभ में पुलिस के पास लंबित	रिपोर्ट के तहत माह के दौरान पुलिस को भेजे गये	पुलिस द्वारा लौटाये गये	माह के अंत में पुलिस के पास लंबित
मामलों की संख्या				
पीसेस की संख्या				

ध्यान दें दर्ज प्रत्येक :एफआईआर में एक मामला सम्मिलित है। एफआईआर में शामिल जाली नोटों की कुल संख्या उक्त प्रत्येक कॉलम में दर्शायी जाये।

प्रेषित –

1 महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक , भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, __________________

संलग्नक V – नोट जाली गये पाये द्वारा बैंकों - क्षतिपूर्ति के लिए दावा

(आंकड़े समेकित पर आधार भारतीय अखिल)

____________________ माह के लिए दावा

बैंक का नाम

जाली नोट सतर्कता का पता

ई पता मेल -

बैंक द्वारा पाये और रिपोर्टिंग किये गये जाली नोटों का राज्य सारांश वार - प्रदेश केंद्रशासित /

राज्य / केंद्रशासित का प्रदेश ¥ नाम	ब्योरा	पीसेस के मूल्य ब्योरे वार -						कुल
		10	20	50	100	500	1000	
	मशीनों द्वारा प्रसंस्करित बैंकनोट							
	पाये और रिपोर्ट किये गये जाली नोट							
	पाये गये जाली नोटों के अनुमानित मूल्य के %25 की दर से क्षतिपूर्ति के लिए दावा							

¥ प्रत्येक राज्य जाये। दर्शाया से अलग लिए के प्रदेश केंद्रशासित /

प्रमाणित किया जाता है कि (i)ऊपर दर्शाये सभी नोटों के संबंध में समेकित मासिक रिपोर्टिंग जो , एफआईआर / भीलागू हो और हैं गये किये को पुलिस ,(ii) भारतीय रिजर्व बैंक के संबन्धित निर्गम विभाग को संबन्धित डाटा की सूचना दी गयी हैं।

जाली नोट सतर्कता कक्ष के प्रमुख का नाम ______________________________

पदनाम ________________________

दिनांक ___________________

कृपया ध्यान दें : दावे अनुवर्ती माह के 15 दिनों के भीतर एमएस एक्सेल में तैयार कर पर ई-मेल प्रेषित करें ।